हुक्म की तामील में जारी हुए			हुक्म की तामील में जारी हुए
1352-ए 16/8/15 मोहरसिंह नन्दुराम नि० भरतलाल		आ-2015 वकील उभयपक्ष उपस्थित है। सायल मोहरसिंह व गैरसायल नन्दुराम भी उपस्थित हैं। बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई। सायल के वकील ने अपने T.I. प्रा०पत्र केअनुसार बहस की एवं गैरसायलान के वकील ने अपने जवाब T.I. प्रा०पत्र के अनुसार बहस की। पक्षकारों के मध्य इसी न्यायालय मे एक और अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा०पत्र संख्या 126/14 उनवानी मोहरसिंह बनाम भरतलाल वगैरा विचाराधीन है। इस T.I. प्रा०पत्र मे नायब तहसीलदार तलावड़ा से बादग्रस्त भूमि ख०नं० 241 रकबा 8 एयर ग्राम नौगांव की मौके रिपोर्ट मंगवाई गई थी जो प्राप्त हो चुकी है। इस मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य मे पक्षकारों से व उनके वकीलों से चर्चा की गई। चर्चा के दौरान यह ~~तथ्य~~ तथ्य उभरकर सामने आया कि मौका रिपोर्ट दि० 7-6-15 के अनुसार ख०नं० 241 रकबा 8 एयर में 12x18 मीटर में पक्का चौरीपोश मकान बना हुआ है, 14x12 मीटर में पाटोरपोश 4 गह दुपट्टा व छान व खुला मैदान है तथा 32x12 मीटर भूमि मौके पर जोत लगाकर पड़ी हुई है। पक्षकार इस बात पर सहमत हुए हैं कि ख०नं० 241 में 32x12 मीटर खाली भूमि के कब्जे काश्त में गैरसायलान ~~व~~ सायल को एवं 12x18 मीटर, 14x12 मीटर में निर्मित मकानों में कब्जे में सायल गैरसायलान को कोई बाधा तापैसला दावा उत्पन्न नहीं करेंगे। पक्षकारों व उनके अभिभाषकगण ने T.I. प्रा० पत्र का इसी अनुसार निर्णय करने का निवेदन किया है। अतः उपरोक्तानुसार उभयपक्षकारों को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया	मोहरसिंह [illegible] नन्दुराम [illegible]

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	जाता है कि वे मूल वाद के निर्णय होने तक ख०नं० 251 रकबा 8 स्यर ग्राम नौगांव में मौका रिपोर्ट दि० 7-6-15 के अनुसार खाली पड़ी भूमि 32×12 मीटर में सायल को गैरसायलान किसी भी प्रकार की मजाहमत नहीं करेंगे तथा इसी नम्बर में ~~निर्मित~~ 12×18 मीटर, 14×12 मीटर में निर्मित मकानो व भूमि में गैरसायलान को सायल किसी भी प्रकार की मजाहमत नहीं करेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	